# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

1. श्री हिन्दुराम पुत्र श्री मगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री प्रागाराम पुत्र श्री गंगाराम, जाति- मेघवाल, निवासी- सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही
3. ग्राम पंचायत, सिरोडी जरिये सरपंच, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 55/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र मेडतिया, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, प्रत्यर्थी संख्या- 3 की ओर से
4. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में ग्राम सिरोडी, पटवार हल्का सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा किस्म ब-1 में से रकबा 500 वर्गगज भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत संग्रह स्थल हेतु जारी किया आवंटन आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/1288-89 दिनांक 18.11.2016 तथा उक्त खसरा संख्या 387/3 किस्म ब-1 रकबा 500 वर्गगज भूमि का प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में जारी नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/18/67-70 दिनांक 22.1.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अलग से प्रस्तुत किया गया। साथ ही, अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

(2) अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर यह अपील दर्ज रजिस्टर करने से पूर्व अपीलार्थीगण के

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण को यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रत्यर्थीगण के एतराज प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रदान की जाकर अपीलार्थीगण की यह अपील दिनांक 06.7.2018 को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी करने के आदेश पारित किये गये। जिस पर यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी संख्या- 1 व 2 को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा उपस्थित हुये।

(3) इस अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 31.7.2018 को सरपंच, ग्राम पंचायत, सिरोडी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में ग्राम पंचायत, सिरोडी की ओर से अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित हुये। प्रकरण में सरपंच, ग्राम पंचायत, सिरोडी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर बाद सुनवाई वकील पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.9.2018 को आदेश पारित कर इस अपील प्रकरण में ग्राम पंचायत, सिरोडी को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये।

(4) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत संग्रह स्थल हेतु विवादित भूमि का अस्थाई तौर किया गया आवंटन विधि विरुद्ध है। धारा 98 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत भूमि का अस्थाई तौर पर आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है, तहसीलदार को ऐसी शक्तियां प्राप्त नही है। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार न तो काश्तकार है व न ही प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के पास मवेशी गाय, भैस, भेड, बकरी है, फिर भी तहसीलदार, रेवदर ने गलत रुप से प्रत्यर्थी के पक्ष में वाडा एवं संग्रह स्थल हेतु अस्थाई तौर पर भूमि का आवंटन आदेश जारी किया है। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा नही होते हुए भी हल्का पटवारी ने प्रत्यर्थी रणजीत कुमार से मेल मिलाप कर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार को अनुचित लाभ पॅहुचाने के लिये पुराना कब्जा होने बाबत गलत रिपोर्ट तहसीलदार, रेवदर को प्रस्तुत की गई तथा तहसीलदार, रेवदर ने हल्का पटवारी, सिरोडी की गलत रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि का वाडा हेतु अस्थाई तौर पर आवंटन आदेश दिनांक 18.11.2016 को जारी किया गया है। तत्पश्चात् हल्का पटवारी व प्रत्यर्थी ने तहसीलदार से सांठ गांठ कर तत्कालीन तहसीलदार, रेवदर श्री बद्रीदान चारण की सेवानिवृति दिनांक 31.1.2018 से पहले की दिनांक 22.1.2018 में बेक डेट में उक्त भूमि का प्रत्यर्थी के पक्ष में नियमन आदेश दिनांक 22.1.2018 को जारी करवाया है, जो विधि विरुद्ध है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का पुराना कब्जा नही रहा है एवं न ही विवादित भूमि का प्रत्यर्थी ने उपयोग व उपभोग किया है, बल्कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगणं का पुराना कब्जा था तथा यह अपील पेश करने के 15 दिन पहले प्रत्यर्थी ने विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की, तब अपीलार्थीगण ने विरोध किया व

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश की, उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी रणजीत कुमार ने विवादित भूमि पर जबरन तारबंदी कर दी। यह कि प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है। यदि प्रत्यर्थी का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होता तो अधीनस्थ न्यायालय में खसरा गिरदावरी, धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधि. के नोटिस आदि दस्तावेजी साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत की जाती, लेकिन प्रत्यर्थी रणजीत कुमार ने पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। विवादित भूमि का नियमन करने से पहले अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी रणजीत कुमार से ग्राम पंचायत, सिरोडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नही किया गया है एवं न ही ग्राम पंचायत सिरोडी द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अधीनस्थ तहसीलदार, रेवदर ने केवल एक गवाह के बयान तथा हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि का प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के पक्ष में नियमन करने का आदेश दिनांक 22.1.2018 को जारी किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण व अन्य सहखातेदारान का पुराना कब्जा है एवं विवादित भूमि अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगती हुई है, इसलिये अपीलार्थीगण विवादित भूमि का अपने पक्ष में नियमन कराने के अधिकारी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के संबंध में पहले से कोई जानकारी नही थी एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण पक्षकार रहे है। प्रत्यर्थीगण को प्रश्नगत आदेशों के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी यह अपील प्रस्तुत करने के 15 दिन पूर्व हुई, जब प्रत्यर्थी रणजीत कुमार जे.सी.बी. लेकर अपीलार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने आया व तारबन्दी की कोशिश की तो अपीलार्थीगण द्वारा एतराज किया गया, तब प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दी। अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 15.6.2018 को नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त कर जानकारी तिथि से अन्दर मियाद यह अपील पेश की गई है। अत: अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार करके अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2016 एवं 22.1.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 2 (रणजीत कुमार) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रारम्भिक आपत्ति करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण हिन्दूराम व अन्य न तो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रहे है एवं न ही अपीलार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हित निहित है। अपीलार्थीगण अजनबी व्यक्ति है, जिन्हें अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है एवं न ही अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रत्यर्थी को हैरान परेशान करने की नियत से जानबूझ कर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार, अपीलार्थी की यह अपील उक्त सभी कारणों से कानूनन परिपोषणीय नही होने से प्रथम दृष्टया ही काबिज खारिज है। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर में प्रत्यर्थी रणजीत कुमार ने

...पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा में से 500 वर्गगज भूमि का धारा 98 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 11.11.2016 को तहसीलदार, रेवदर ने धारा 98 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आवंटन हेतु हल्का पटवारी से रिपोर्ट व पंचायत की एन.ओ. सी. लिये जाने व साथ ही, यदि पुराना कब्जा है तो नियमन हेतु हल्का पटवारी से मौका जांच रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये। जिस पर हल्का पटवारी, सिरोडी व ग्रामसेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, सिरोडी ने उक्त आवेदन पत्र पर अंकित रिपोर्ट में विवादित भूमि पर रणजीत कुमार का पुराना कब्जा बताते हुए 500 वर्गगज भूमि आवंटन करने की सिफारिश की है। प्रकरण में हल्का पटवारी, सिरोडी द्वारा तहसीलदार, रेवदर को प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 में भी यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा भूमि से करीब 0.10 बीघा भूमि पर रणजीत कुमार पुत्र भेरुलाल, जाति- ओड का उसके पिता के समय से पुराना कब्जा बताया है। जिस पर तहसीलदार, रेवदर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत रणजीत कुमार के पक्ष में विवादित भूमि का अस्थाई तौर पर आवंटन आदेश दिनांक 18.11.2016 को जारी किया। साथ ही, दिनांक 18.11.2016 को तहसीलदार, रेवदर ने नियमन हेतु स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 03.4.2017 को प्रस्तुत करने के आदेश दिये। तत्पश्चात् प्रकरण में स्वतंत्र गवाह के बयान लिये गये, जिसमें विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का वर्ष 2005 से पूर्व का पुराना कब्जा वाडा होना बताया है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का वर्ष 2005 से पूर्व का पुराना कब्जा वाडा होने से राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.9(6)/राज-6/2000 दिनांक 10.1.2013 के तहत तहसीलदार, रेवदर ने प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के पक्ष में उक्त खसरा संख्या 387/3 रकबा 500 वर्गगज भूमि का नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/18/67-70 दिनांक 22.1.2018 को जारी किया गया। प्रत्यर्थी ने निर्धारित शुल्क भी जमा करवाई है तथा साथ ही, दिनांक 22.1.2018 को सनद् पट्टा भी शुल्क लेकर जारी किया गया है। उक्त नियमन आदेश की पालना में विवादित भूमि का प्रत्यर्थी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त समस्त कार्यवाही डे टू डे विधिवत रुप से हुई है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित आदेशिकाओं से स्पष्ट होता है। तहसीलदार, रेवदर ने बेक डेट में आदेश जारी नही किया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार को धारा 98 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अस्थाई तौर पर भूमि आवंटन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र दिनांक 10.1.2013 के अनुसार तहसीलदार को 01.1.2005 से पूर्व के कब्जे वाडे नियमन करने का अधिकार दिया हुआ है। तहसीलदार, रेवदर ने हल्का पटवारी से विधिवत जांच करवाकर व स्वतंत्र गवाहान के बयान कलमबद्ध कर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का विवादित भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा होने से नियमानुसार नियमन आदेश दिनांक 22.1.2018 को जारी किया गया है। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के अधिवक्त ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विवादित भूमि के मौके पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का एक पक्का मकान 25x30 वर्गफीट पर चद्दरों का बना हुआ है, भूमि के चारों ओर तारबंदी की हुई है एवं मौके पर 2 ट्रोली पत्थर पडे हुए है। उक्त मकान में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी, सिरोडी व भू अभिलेख निरीक्षक, सिरोडी की मौका फर्द दिनांक 10.7.2018 से होती है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का विवादित भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा वाडा साबित होने से प्रत्यर्थी के पक्ष में उक्त भूमि का नियमन आदेश जारी किया गया है, इसलिये अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के अधिवक्ता के बहस के कथन के जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने की अनुमति ली है। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालयकी पत्रावली में प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का विवादित भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है। प्रत्यर्थी संख्या-3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा होने के संबंध में प्रत्यर्थी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है एवं न ही विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार का पुराना कब्जा रहा है। विवादित भूमि का प्रत्यर्थी के पक्ष में नियमन होने से पूर्व में ही ग्राम पंचायत, सिरोडी द्वारा विवादित भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये आवास बनाने हेतु आबादी में आवंटन कराने हेतु प्रस्ताव पारित कर विवादित भूमि को आबादी में आवंटन करने की मांग की गई है, इसलिये विवादित भूमि न तो अपीलार्थीगण को दी जानी चाहिये व न ही प्रत्यर्थी रणजीत कुमार को दी जानी चाहिये।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी श्री रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में ग्राम सिरोडी, पटवार हल्का सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा किस्म ब-1 में से 500 वर्गगज भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत आवंटन आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/1288-89 दिनांक 18.11.2016 को जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त खसरा संख्या 387/3 किस्म ब-1 रकबा 500 वर्गगज भूमि का प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/18/67-70 दिनांक 22.1.2018 को जारी किया गया है। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.7.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उक्त आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने के 15 दिन पूर्व होना अंकित करते हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने का अनुरोध किया है। अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के उक्त प्रार्थना

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रार्थना पत्र के साथ अपीलार्थी हिन्दूराम का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का न तो जवाब प्रस्तुत हुआ एवं न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आदेशों के संबंध में अपीलार्थीगण को पूर्व से ही जानकारी हो। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। ऐसी स्थिति में, धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुए इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित पाया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी द्वारा तहसीलदार, रेवदर को ग्राम सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा में से रकबा 500 वर्गगज भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत संग्रह स्थल के लिये आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11.11.2016 को तहसीलदार, रेवदर द्वारा हल्का पटवारी से रिपोर्ट लेने व ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने का आदेश अंकित किया गया है। साथ ही, तहसीलदार, रेवदर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर यह आदेश भी दिनांक 11.11.2016 को अंकित किया गया है कि यदि पुराना कब्जा वाडा हो तो हल्का पटवारी से मौका जांच रिपोर्ट नियमन हेतु ली जावे। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के उक्त आवेदन दिनांक 11.11.2016 पर हल्का पटवारी, सिरोडी द्वारा अंकित रिपोर्ट दिनांक 15.11.2016 में मौजा सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 में से 500 वर्गगज भूमि आवंटन की जाने की सिफारिश की गई है एवं आवेदन का कब्जा पुराना होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी, सिरोडी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 (जो तहसीलदार, रेवदर को दिनांक 17.11.2016 को प्रस्तुत की गई है) में ग्राम सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा में से करीब 0.10 बीघा भूमि पर रणजीत कुमार पुत्र भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी का कब्जा पुराना होना बताया गया है, लेकिन हल्का पटवारी, सिरोडी ने उक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 के संलग्न विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पुराने कब्जे के संबंध में राजस्व रेकर्ड यथा खसरा गिरदावरी, धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही में जारी नोटिस इत्यादि किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है। विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी का वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा होने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है एवं न ही ग्राम पंचायत, सिरोडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध है। प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी ने विवादित भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस अपील प्रकरण की सुनवाई में इस न्यायालय

....पैज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

में प्रस्तुत नही की है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी का विवादित भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा साबित नही होते हुए भी हल्का पटवारी, सिरोडी ने प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी को अनुचित लाभ पॅहुचाने की उद्देश्य से रेकर्ड से परे जाकर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.2016 में विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी का पुराना कब्जा होने के संबंध में गलत रिपोर्ट अंकित की है तथा हल्का पटवारी, सिरोडी ने मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 16.11.2016 में भी रेकर्ड से परे जाकर विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी का पुराना कब्जा होने बाबत गलत रिपोर्ट अंकित की है। ऐसी स्थिति में, तहसीलदार, रेवदर द्वारा जारी उक्त दोनों आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: राज्यहित में अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के तहत ग्राम सिरोडी के खसरा संख्या 387/3 रकबा 2.04 बीघा किस्म ब-1 में से रकबा 500 वर्गगज भूमि का जारी आवंटन आदेश क्रमांक/राजस्व/2016/1288-89 दिनांक 18.11.2016 एवं तहसीलदार, रेवदर द्वारा उक्त खसरा संख्या 387/3 रकबा 500 वर्गगज भूमि का प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में जारी नियमन आदेश क्रमांक/राजस्व/18/67-70 दिनांक 22.1.2018 को निरस्त किया जाता है। साथ ही, उक्त नियमन आदेश दिनांक 22.1.2018 के क्रम में तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी के पक्ष में पत्र क्रमांक/राजस्व/18/71-74 दिनांक 22.1.2018 के द्वारा जारी सनद को भी निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, रेवदर को आदेशित किया जाता है कि उक्त खसरा संख्या 387/3 रकबा 500 वर्गगज भूमि के राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कर रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाये। चूंकि प्रकरण में हल्का पटवारी, सिरोडी ने प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी को अनुचित लाभ पॅहुचाने के उद्देश्य से रेकर्ड से परे जाकर विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी रणजीत कुमार पुत्र श्री भैरुलाल, जाति- ओड, निवासी- सिरोडी का पुराना कब्जा होने के संबंध में तहसीलदार, रेवदर को गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसलिये हल्का पटवारी, सिरोडी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही को इस न्यायालय से पत्र जारी किया जावे। निर्णय सुनाया गया।

31.10.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही